

पत्रांक १०८ / जि०यो०

सेवा में,

नोडल अधिकारी, बिहार ग्रामीण बैंक, पूर्णिया।
शाखा प्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक,
गढ़बनैली/नेवालाल चौक/कोहबारा रामनगर/रामनगर चौक/परोरा, पूर्णिया।
शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, कला भवन रोड/बाजार शाखा, पूर्णिया।
शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक, बेलवा, पूर्णिया।

पूर्णियाँ/दिनांक 15/9/26

विषय :- नीलाम पत्र वादों का पंजी- IX एवं X का मिलान कराने, बकाया कोर्ट फीस/तलवाना
शुल्क जमा करने तथा वादों के निष्पादन के संबंध में।
प्रसंग :- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया का पत्रांक- 592/जि०नी०, दिनांक- 12.08.2026 एवं ज्ञापांक-
623/जि०नी०, दिनांक- 28.08.2026

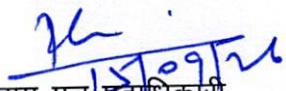
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निदेशानुसार नीलाम पत्र वादों के त्वरित निष्पादन हेतु अधियाची विभाग/बैंक से समन्वय स्थापित कर नियमित रूप से कार्रवाई की जानी है। आपके बैंक से संबंधित सभी नीलाम पत्र वादों का पंजी- IX एवं X के मिलान हेतु प्रत्येक माह में कम से कम दो (02) बार आपके अधिकृत पदाधिकारी अथवा स्वयं अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर पंजियों का मिलान कराना सुनिश्चित करेंगे। मिलान के दौरान लंबित वादों की स्थिति, बकाया राशि एवं नोटिस की स्थिति को अद्यतन किया जाएगा, ताकि निष्पादन योग्य वादों, नोटिस निर्गत करने योग्य वादों एवं आपत्ति वाले वादों की जानकारी से आपको अवगत कराया जा सके तथा वादों का त्वरित निष्पादन किया जा सके। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि कई बैंकों द्वारा निष्पादन योग्य वादों का कोर्ट फीस एवं तलवाना शुल्क जमा नहीं किया गया है, जिसके कारण नोटिस निर्गत करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, उसे अविलंब अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी निदेश प्राप्त है कि बैंक/नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा विशेष अभिरुचि लेते हुए प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से कम से कम 10 वादों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि प्रत्येक माह के द्वितीय (2nd) एवं चतुर्थ (4th) सप्ताह के सोमवार अथवा शुक्रवार को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर पंजी- IX एवं X के मिलान करते/कराते हुए उपर्युक्त निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि जिला पदाधिकारी महोदय को निष्पादन/अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जा सके।

इसे गंभीरता से लेंगे।

विश्वासभाजन


नीलाम पत्र पदाधिकारी

-सह-

जिला योजना पदाधिकारी,
पूर्णिया।